पत्रांक–1 / विकास–यो0–231 / 2025 127 स्वी0/सी0सी0
बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा.प्र.से.,
ईखायुक्त, बिहार।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 25 मई, 2026

विषय : **राज्य योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्वीकृत " गन्ना यंत्रिकरण योजना " के अधीन भौतिक उपलब्धि के आलोक में लाभुकों को भुगतान हेतु अवशेष राशि कुल 40.29 लाख रू0 (चालीस लाख उनतीस हजार रू0) मात्र की वित्तीय वर्ष 2026–2027 में निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राज्य सरकार द्वारा राज्य योजनांतर्गत **वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्वीकृत " गन्ना यंत्रिकरण योजना " के अधीन भौतिक उपलब्धि के आलोक में लाभुकों को भुगतान हेतु अवशेष राशि कुल 40.29 लाख रू0 (चालीस लाख उनतीस हजार रू0) मात्र की वित्तीय वर्ष 2026–2027 में निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति** दी जाती है।

(2) वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–177 स्वी0 / सी.सी. दिनांक–27.06.2025 के द्वारा कुल 10.00 करोड़ रू0 की लागत पर गन्ना यंत्रिकरण योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई थी, के आलोक में इस योजनांतर्गत हुए भौतिक उपलब्धि के आलोक में तकनीकी कारणों से कोषागार से देय राशि की निकासी नहीं होने के फलस्वरूप विभिन्न मदों में लाभुकों के भुगतान हेतु अवशेष राशि के रूप में **40.29 लाख रू0 (चालीस लाख उनतीस हजार रू0) मात्र** की स्वीकृति दी जा रही है।

(3) योजनांतर्गत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार संबंधित कोषागार से राशि की निकासी हेतु अवशेष राशि हेतु स्वीकृत वित्तीय लक्ष्य **परिशिष्ट–1** के रूप में संलग्न है।

(4) इस योजनांतर्गत स्वीकृत राशि के अधीन देय अवशेष राशि का निकासी एवं भुगतान संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित कोषागार से किया जायेगा। संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा राशि की निकासी, सुमेक पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदन एवं अन्य प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाएगा। भौतिक उपलब्धि के आलोक में लाभुकों को भुगतान किये जाने हेतु अवशेष राशि के लिए स्वीकृत राशि की निकासी हेतु वित्तीय नियमावली एवं पूर्व निर्गत अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का पूर्ण दायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

(5) इस योजनांतर्गत लाभार्थियों को अनुदान की राशि का भुगतान सीधे CFMS के माध्यम से अथवा विभागीय पत्रांक–601 / ई.का. दिनांक–19.03.2026 के आलोक में संबंधित कार्यालय द्वारा Own Office Account में राशि को अंतरित कर लाभुकों (Beneficiaries) को भुगतान की कार्रवाई पूर्ण की जा सकती है। इस हेतु Voucher के रूप में लाभुकों को भुगतान की विवरणी से संबंधित Receipt संलग्न किया जा सकता है। योजनांतर्गत श्रेणीवार स्वीकृत राशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा। किसी भी प्रकार के गलत भुगतान के लिए संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास पूर्णतः जवाबदेह होंगे।

(6) वित्तीय वर्ष 2025–26 में निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–177 स्वी0/सी.सी. दिनांक–27.06.2025 में निहित अनुदेश/आवश्यकतानुसार समय–समय पर संशोधित अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) इस योजना के कार्यान्वयन हेतु गन्ना उद्योग विभाग प्रशासी विभाग होगा तथा इसकी समीक्षा ईखायुक्त, बिहार द्वारा किया जायेगा। क्षेत्रीय स्तर पर उप निदेशक, ईख विकास/सहायक निदेशक अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्ण रूप से जवाबदेह होगें।

(8) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2026–27 में बजट शीर्षवार उपबंधित राशि एवं विकलनीय राशि का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्रम सं0	बजट शीर्ष	विषय शीर्ष	उपबंधित राशि (लाख रू0)	निकासी हेतु स्वीकृत राशि/विकलनीय राशि (लाख रू0)
1.	मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्यशीर्ष –00– लघु शीर्ष– 108 वाणिज्यिक फसलें मांग संख्या–45 उप शीर्ष– 0120 गन्ना यंत्रिकरण, विपत्र कोड– 45–2401001080120	33 01 सब्सिडी	7800.00	40.29
		20 02 कान्फ्रेंस, सेमिनार एवं कार्यशाला	200.00	0.00
	योग–		**8000.00**	**40.29**

(9). यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक–2561(वि॰)2 दि0–17.04.98 के आलोक में स्वीकृत की जा रही है। स्वीकृत राशि के विरूद्ध वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा विमुक्त किए गए राशि के अधीन आवंटन निर्गत किया जा सकेगा।

(10) प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश पर विभागीय संकल्प संख्या–12888/वि० दिनांक–03.12.2024 की कंडिका–5 (ख) (ii) के आलोक में माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार का अनुमोदन संचिका सं0–01/विकास– यो0–231/2025 के पृष्ठ सं0–103/टि॰ पर प्राप्त है।

(11) स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0–01/विकास–यो0–231/2025 के पृष्ठ सं0–103/टि॰ पर प्राप्त है।

(12) वित्त विभाग के पत्रांक–7355 दिनांक–05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अनुलग्नक–यथोक्त:

विश्वासभाजन

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01/विकास–यो0–231/2025– 127 स्वी0/CC पटना, दिनांक–25 मई, 2026

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, बेतिया/ सिवान/समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01/विकास–यो0–231/2025– 127 स्वी0/CC पटना, दिनांक– 25 मई, 2026

प्रतिलिपि– वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/ उप निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार/उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/संयुक्त निदेशक, ईख विकास/संयुक्त ईखायुक्त,

बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सभी सहायक निदेशक, ईख विकास तथा प्रबंधक/महाप्रबंधक/कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य की सभी कार्यरत चीनी मिल/महाप्रबंधक, प्रतापपुर चीनी मिल/सचिव, बिस्मा/संबंधित के॰भी॰के॰/राज्य के कृषि विश्वविघालय/सभी विशेष ईख पदाधिकारी एवं ईख पदाधिकारी/SIO, NIC, Patna/वरीय तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0 टी0 प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

23/5/2

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01/विकास–यो0–231/2025– 127 स्व0/11 पटना, दिनांक–25 मई, 2026

प्रतिलिपि– संबंधित जिलाधिकारी/निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ एवं प्रभारी पदाधिकारी, IISR, लखनऊ–क्षेत्रीय केन्द्र मोतीपुर/निदेशक, ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा/संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/5

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01/विकास–यो0–231/2025– 127 स्व0/11 पटना, दिनांक– 25 मई, 2026

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

23/5/2

ईखायुक्त, बिहार।

परिशिष्ट–'1'

वित्तीय वर्ष 2026–27 में गन्ना यंत्रिकरण योजना (2025–26) अंतर्गत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार अवशेष राशि हेतु उनके सामने श्रेणीवार स्वीकृत राशि तथा संबंधित कोषागार का नाम जिससे राशि की निकासी की जायेगी का विवरणी।

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/ कार्यालय का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रू0 में)				कोषागार का नाम जहाँ से राशि की निकासी की जायेगी
		सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	योग	
1	2	3	4	5	6	7
1	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा	7.35800	0.23200	0.00000	7.59000	कोषागार, बेतिया, प0 चम्पारण
2	सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर	24.20000	3.00000	0.00000	27.20000	कोषागार, समस्तीपुर
3	सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान	5.14000	0.36000	0.00000	5.50000	कोषागार, सिवान
	योग–	**36.69800**	**3.59200**	**0.00000**	**40.29000**	

ईखायुक्त, बिहार।